संख्या-2023/001-1288422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊः दिनांक : 20.03.2023

विषय :- गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर एवं स्पोर्टस कालेज, सैफई (इटावा) को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31- सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 31/स्पो0 का0 लखनऊ/2023-24, दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष- 2023-24 में वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर हेतु 31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 211.15 लाख (रू0 दो करोड ग्यारह लाख पन्द्रह हजार मात्र), गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ हेतु 31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 683.13 लाख (रू0 छः करोड तिरासी लाख तेरह हजार मात्र) एवं स्पोर्टस कालेज, सैफई (इटावा) हेतु 31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 149.05 लाख (रू0 एक करोड, उंचास लाख पांच हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों :-

(1)- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी0-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों / मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों / मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्यायवर्तन वित् तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पूर्व वर्षों की देनदारियों पर नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल निदेशक, खेल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी तथा सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्मय से व्यय हेतु प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर, प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ एवं प्रधानाचार्य, मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई (इटावा) के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(5)- स्वीकृत धनराशि के व्यय करने में शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मित् तव्ययता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6)- स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार आहरित किया जायेगा। स्वीकृत अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 5 भाग- 1 के अध्याय- 16 में दिये गये अध्यावधिक नियम भी लागू होंगे। इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बी0एम0- 13 प्रपत्र शासन एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष :- 2204001042301 (स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर को अनुदान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
022	2204001042301 स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर को अनुदान	31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	211.15 लाख
कुल			211.15 लाख (रु0 दो करोड ग्यारह लाख पन्द्रह हजार मात्र)

लेखाशीर्ष :- 2204001042302 (स्पोर्टस कालेज, लखनऊ को अनुदान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
022	2204001042302 स्पोर्टस कालेज, लखनऊ को अनुदान	31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	रू0 683.13 लाख (रू० छः करोड तिरासी लाख तेरह हजार मात्र)
कुल			रू0 683.13 लाख (रू० छः करोड तिरासी लाख तेरह हजार मात्र)

लेखाशीर्ष :- 2204001042303 (स्पोर्टस कालेज, सैफई को अनुदान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

022	2204001042303 स्पोर्टस कालेज, सैफई को अनुदान	31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	रू0 149.05 लाख (रु० एक करोड, उंचास लाख पांच हजार मात्र)
कुल			रू0 149.05 लाख (रु० एक करोड, उंचास लाख पांच हजार मात्र)

महायोग	रू0 1043.35 लाख

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1- 227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- **2023/001-1288422023** तद्दिनांक **:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
(2)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3)- सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
(4)- प्रधानाचार्य, स्पोर्टस कालेज, लखनऊ/गोरखपुर/सैफई (इटावा)।
(5)- वित्त (आय-व्ययक अनुभाग- 1/2
(6)- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
(7)-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,
विनीत प्रकाश
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।